न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 173/2015/223 आरटीए

1. साहबराम पुत्र स्व. चन्द्रभान जाति जाट निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजकुमार पुत्र राधेश्याम उर्फ राधेराम जाति जाट निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. धमेन्द्र पुत्र रोधश्याम उर्फ राधेराम जाति जाट निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. सुनील भादू पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. दलीप पुत्र स्व. रणजीतसिंह जाति जाट निवासी सूरतगढ़ नजदीक एसबीबीजे बैंक सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्टस/प्रति0 सं. 2से6

–: बनाम :–

1. श्रीमति उर्मिलादेवी पत्नि स्व. रायसिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ जरिये मुखत्यारखास महेन्द्रसिंह पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी वार्ड नं. 2 लखुवाली मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/वादिया

2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पो0/प्रतिवादी सं. 1

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2014 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र0सं0 128/2012 अनवानी उर्मिलादेवी बनाम स्टेट आदि

उपस्थित :–

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांक –25.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 आरटीए पेश किया कि चक 31 एसटीजी के प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 1 से 25 खातेदारी भूमि है तथा इस भूमि के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत था जो सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर इसी मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता स्वीकृत किया गया है। वर्तमान जमाबंदी के प.न. 19/330 के कि.न. 1 ता 5 मे 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज जबकि यह रास्ता किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नही किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा सहबन से दर्ज किया गया है। इसलिये इस रास्ता के अंकन को हटवाकर वादिया/रेस्पो0 उक्त कि.न. 1 ता 5 मे अंकित 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता का अंकन हटवाकर गैरमुमकिन भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद तनकीयात कायम करते हुए दिनांक

02.12.14 को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर वादिया का वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का कोई विवेचन व विश्लेषण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट की जवाबदेही मे यह अभिकथन नही थे कि प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत रास्ता चालू ना हो बल्कि जवाबदावा की चरण सं. 6 मे यह स्पष्ट अभिवचन थे कि उक्त गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व चालू है। इस स्पष्ट अभिवचन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक सं. 2 की विरचना अभिवचनो के विपरीत की है। अपीलांट जवाबदावा मे यह विधिक आपत्ति थी कि स्वीकृत रास्ता के संबंध मे खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते तथा यह वादपत्र राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। अपीलांट की स्पष्ट जवाबदेही थी कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने इस चक के काश्तकारो के निवेदन पर पत्रावली सं. 183/82 मे अपने निर्णय दिनांक 31.01.1983 के जरिये चक 31 एसटीजी मे पत्थर लाईन 19 पर प.न. 19/328 से प.न. 19/332 तक प्रत्येक मुरब्बा के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे स्वीकृत रास्ता को निरस्त कर इसके स्थान पर मुरब्बा नं. 32, 34, 45, 46 यानि प.न. 18/328 से प.न. 18/331 तक के प्रत्येक मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया था। इसी निर्णय मे प.न. 19/330 मु.न. 44 के कि.न. 1 ता 5 मे भी 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया था। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वादपत्र मे अपनी कृषि भूमि प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे इसी आदेश के अध्यधीन रास्ता निरस्त होने व कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत होने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा असद्भावनापूर्वक प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 1 ता 5 मे गैर मुमकिन रास्त के इन्द्राज को सहबन दर्ज होने के मिथ्या कथन किये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत गैर मुमकिन रास्ता भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकार प्रदत किये जाने मे वर्जना है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। हस्तगत प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि गैरमुमकिन रास्त ना तो सहबन से दर्ज था व ना ही किसी ऐसे अधिकारी द्वारा स्वीकृत था जिसे रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार ना हो बल्कि सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा पत्रावली सं. 183/82 मे पारित

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आदेश के अनुसरण मे यह रास्ता राजस्व अभिलेख मे दर्ज होकर चालू था। रेस्पो0 सं. 1 ने भी अपने अभिवचनो मे अपनी भूमि प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता निरस्त होने व कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता स्वीकृत होने का जो तथ्य ब्यान किया है वह उक्त आदेश दिनांक 31.01.83 की पालना मे ही खारिज व मंजूर हुआ है तथा इसी आदेश मे ही प्रश्नगत रास्ता कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत हुआ था। प्रश्नगत रास्ता जो चक 31 एसटीजी के प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत हुआ था, वह राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त सं. 8(2) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पालना मे हुआ था तथा इस आदेश से कोई व्यक्ति पीड़ित भी हो तो उसके विरूद्ध अपील का उपचार है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरएलडब्ल्यू 1986 पेज 747, आरआरडी 2009 पेज 295, आरआरडी 1992 पेज 496, आरआरडी 2014 पेज 468 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 आरटीए पेश किया कि चक 31 एसटीजी के प.न. 19/330 मु.न. 44 कि. न. 1 से 25 खातेदारी भूमि है तथा इस भूमि के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृत था जो सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर इसी मुरब्बा के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता स्वीकृत किया गया है। वर्तमान जमाबंदी के प.न. 19/330 के कि.न. 1 ता 5 मे 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज जबकि यह रास्ता किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नही किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा सहबन से दर्ज किया गया है। इसलिये इस रास्ता के अंकन को हटवाकर वादिया/रेस्पो0 उक्त कि.न. 1 ता 5 मे अंकित 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता का अंकन हटवाकर गैरमुमकिन भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादिया डिक्री किया गया, जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि प्रश्नगत रास्ता प्रकरण सं. 283/1983 आदेश दिनांक 31.01.1983 के द्वारा स्वीकृत किया गया, उक्त प्रकरण मे रेस्पो0 पक्षकार नही था तथा ना ही रेस्पो0 को रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व कोई सूचना दी गई। प्रश्नगत रास्ता ना तो मौका पर चालू है और ना ही उक्त रास्ता की आवश्यकता है। प्रश्नगत रास्ता जो कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत किया है उसके बदले मे भूमि या किसी प्रकार की राशि नही दी गई। इसलिए रेस्पो0 ने उक्त रास्ता निरस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ने चक 31 एसटीजी के प.न. 19/330 के कि.न. 1 ता 5 की आवश्यकता नही होने एवं मौके पर चालू नही होने एवं जमाबंदी सम्वत 2018 तथा पर्चा लगान सैटलमेंट 1978, जमाबंदी सम्वत 2035 से 44 मे कही उक्त रास्ता दर्ज नही होने एवं जमाबंदी सम्वत 2045 मे प्रश्नगत रास्ता दर्ज करने से उसे निरस्त करने एवं रेस्पो0/वादी के नाम खातेदारी दर्ज करवाने हेतु अनुतोष चाहा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दावा डिक्री किया है। अपीलांट का यह तर्क है कि प्रश्नगत मुकदमा नं. 183/1982 आदेश दिनांक 31.01.1983 से चक 31 एसटीजी के मु.न. 31 कि.न. 1, 10, 11, 20 21, मु.न. 32 व 34 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.न. 35 व 44 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मु.न. 45 व 46 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 व मु.न. 47 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक मुरब्बा के उक्त किलो मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं प.न. 19/330 के कि.न. 1 ता 5 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने व प. न. 19/328 से 19/332 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक मुरब्बा मे से स्वीकृत रास्ते को निरस्त किये जाने का आदेश देते हुए अभिलेख मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये है। प्रथमतः अपील पत्रावली मे पत्रावली सं. 283/1983 आदेश दिनांक 31.01.83 एवं इससे संबंधित कागजात प्रस्तुत हुए है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 1 पक्षकार नही है एवं प.न. 19/330 मु.न. 44 कि.न. 1 ता 5 मे जो रास्ता स्वीकृत किया है उसके बदले मे भूमि दिया जाना अथवा किसी प्रकार की राशि दिया जाना दर्शित नही होता है।

6. इसी कारण रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है परन्तु पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा से यह ज्ञात होता है कि यह रास्ता सार्वजनिक रास्ता है। इस हेतु रेस्पो0 सं. 1 द्वारा जो विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया है वह कानूनन उचित प्रतीत नही होता है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.14 काबिले अपास्त है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत रास्ता लम्बी दूरी के रास्तो मे हुए बदलाव के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक रास्ता से संबंधित विवाद होना प्रतीत होता है। इसलिये प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत ही रेस्पो0 सं. 1 किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये न्यायहित मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर यह निर्देश दिया जाना उचित होगा कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद को राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत आवेदन पत्र मानते हुए उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के तहत आवेदन पत्र मानते हुए उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें, तब तक उभय पक्ष चक 31 एसटीजी के प.न. 19/330 मु.न. 44 के कि.न. 1 ता 5 की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official